

## अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम जैतारण जिला ब्यावर  
बईजलास :- श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

-:: वादी ::-

बनाम

-:: प्रतिवादीगण ::-

1. बगदाराम पुत्र हराराम

जाति मेघवाल निवासी चावण्डियां  
तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

1. दुर्गाराम पुत्र गणेशराम सिरवी

2. मल्लाराम पुत्र गणेशराम सिरवी

3. कचरालाल पुत्र हराराम फौत के  
कायम मुकाम

3/1. संतोष पत्नी कचरालाल

3/2. ज्योतिसिंह पुत्री कचरालाल

3/3. खुशबु पुत्री कचरालाल

3/4. नन्दू पुत्र कचरालाल

4. प्रकाश पुत्र मांगीलाल

5. राजूराम पुत्र मांगीलाल

6. सुरेन्द्र पुत्र मांगीलाल

7. संतोषदेवी पुत्री मांगीलाल

8. पिन्दूदेवी पुत्री मांगीलाल

9. पारकीदेवी पत्नी मांगीलाल

10. चम्पालाल पुत्र मंगलाराम

11. धर्मीचन्द पुत्र मंगलाराम

12. कंचनदेवी पुत्री मंगलाराम

13. पप्पूदेवी पुत्री मंगलाराम

14. गणकीदेवी पुत्री मंगलाराम

15. सोनकीदेवी पत्नी मंगलाराम

जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम  
चावण्डिया कलां, तहसील जैतारण  
जिला ब्यावर।

16. तहसीलदार, जैतारण जरिये भूमिधारी  
राजस्थान सरकार।



मु0न0 :रा0वा0स0: 441/2019

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-.....

.. व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुब्दई पेश होकर  
हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक  
वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा  
चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 244 रकबा

0/0  
29/4/26

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
जैतारण, जिला-ब्यावर

1.3840 हैक्टेयर किस्म बारानी अक्वल का भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	बगदाराम पुत्र हराराम हि. पूर्ण जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	244/1	0.173	बा.अ.	0.66
2	दुर्गाराम पुत्र गणेशराम हि. 346/1211 जाति सीरवी सा.देह खातेदार,, मल्लाराम पुत्र गणेशराम हि. 346/1211 जाति सीरवी सा.देह खातेदार, संतोष पत्नि कचरालाल हि. 44/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, ज्योतिसिंह पुत्री कचरालाल हि. 43/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, खुशबु पुत्री कचरालाल हि. 43/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, नन्दू पुत्र कचरालाल हि. 43/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, प्रकाश पुत्र मांगीलाल हि. 8/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, राजूराम पुत्र मांगीलाल हि. 8/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार,, सुरेन्द्र पुत्र मांगीलाल हि. 8/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, संतोष पुत्री मांगीलाल हि. 8/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, पिन्दूदेवी पुत्री मांगीलाल हि. 8/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, पारकीदेवी पत्नि मांगीलाल हि. 9/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, चम्पालाल पुत्र मंगलाराम हि. 49/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, धर्मीचन्द पुत्र मंगलाराम हि. 49/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, कंचनदेवी पुत्री मंगलाराम हि. 49/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, पप्पूदवी पुत्री मंगलाराम हि. 49/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, गणकीदेवी पुत्री मंगलाराम हि. 49/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार, सोनकीदेवी पत्नि मंगलाराम हि. 52/1211 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	244	1.211	बा.अ.	4.64

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है।



*Handwritten signature and date:*  
29/4/26  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
जंतारण, जिला-खजुर

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज.....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....  
-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29.04. 2026 को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक), जैतारण  
जिला-ब्यावर (राज0)

मुखर्ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	13.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	17.00		मिजान:-	0.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।